संदर्भ सं. राबैं. डॉर/ एलटी नीति/ पीपीएस-9/118044-118070/ 2025-26 16 दिसम्बर 2025
परिपत्र सं. 275/ डॉर - 67/2025

राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

महोदया/ महोदय

**सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूँजी में योगदान हेतु नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 27 के तहत राज्य सरकारों को मीयादी ऋणों की मंजूरी - वर्ष 2025-26 हेतु परिचालन दिशानिर्देश.**

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 27 के अंतर्गत नाबार्ड सहकारी ऋण संस्थाओं अर्थात राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स)/ कृषक सेवा समितियों/ बृहदाकार आदिवासी बहुउद्देशीय समितियों (लैम्प्स), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की शेयर पूँजी में अंशदान के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराता है.

2. इसके तहत प्रदत्त सहायता की परिचालन अवधि **01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026** तक होगी और इसके अंतर्गत वर्ष **2025-26** के दौरान शेयर पूँजी अंशदान के लिए राज्य सरकार द्वारा संवितरित राशि शामिल होगी.

3. नाबार्ड से राज्य सरकारों को यह सुविधा समय-समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी.

4. शेयर पूँजी अंशदान के लिए अंशदान करते समय राज्य सरकारों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

**(i) सहकारी ऋण संस्थाओं में सदस्य आधारित प्रक्रिया के संवर्धन की आवश्यकता**

सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूँजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य इन संस्थाओं की अधिकतम उधार क्षमता (एमबीपी) को बढ़ाना है जिससे इनकी स्वाधिकृत निधियों के गुणक के रूप में माना जाता है. इससे ये संस्थाएँ अपने घटकों की ऋण आवश्यकताओं, विशेष रूप से कृषि ऋणों के लिए व्यापक आधार पर ऋण वितरण कार्यक्रम संचालित कर सकेंगी. इसके अलावा, सहकारी ऋण संस्थाओं को वास्तव में लोकतांत्रिक, सदस्य-संचालित और आत्मनिर्भर संस्था बनाने के लिए सदस्यों से शेयर पूँजी अंशदान के संग्रहण को बढ़ाकर, इन सहकारी ऋण संस्थाओं के सदस्य आधार और इक्विटी आधार को सुदृढ़ करना वांछनीय है.



पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: 022 2652 4926 • फ़ैक्स: 022 2653 0090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: 022 2652 4926 • Fax: 022 2653 0090 • E-mail: dor@nabard.org

**(ii) ग्रामीण सहकारी बैंक जो सीआरएआर का अनुपालन नहीं करते हैं और जिन्हें ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए टर्न अराउंड प्लान पहल के तहत चिह्नित किया गया है.**

विनियामक सीआरएआर आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्रामीण सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक विकास पूँजी उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण सहकारी बैंकों में शेयर पूँजी अंशदान के लिए राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान की जा रही है। इससे इन संस्थानों को पूंजीगत सहायता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जो न केवल विनियामक अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और सतत व्यावसायिक विकास को सुगम बनाने के लिए भी आवश्यक है। इससे ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपनी ऋण वितरण क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी, विशेषतः कृषि, ग्रामीण विकास और लघु उद्यमों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में.

**(iii) राज्य सरकारों द्वारा शेयर पूँजी अंशदान का वास्तविक आकलन**

राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न संस्थाओं को उनके ऋण वितरण कार्यक्रम और नाबार्ड द्वारा निर्धारित पात्रता, राज्य सरकार की शेयर पूँजी अंशदान संबंधी सीमा आदि को ध्यान में रखते हुए सहायता राशि के वास्तविक आकलन के पश्चात् शेयर पूँजी प्रदान किया जाए.

5. राज्य सरकारों द्वारा परिचालन अवधि के **(अप्रैल 2025 - मार्च 2026)** भीतर प्रतिपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से भरे गए अपने आवेदन (निर्धारित प्रोफॉर्मा में) नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए.

6. विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश अनुबंध में प्रस्तुत किए गए हैं.

7. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में दें.

भवदीय

KANIYUR SUNDARARAJAN MAHESH

Signed by KANIYUR SUNDARARAJAN MAHESH
Date: 2025.12.16 12:09:55

(डॉ. के एस महेश)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

## अनुबंध

**सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूँजी में योगदान हेतु नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 27 के तहत राज्य सरकारों को मीयादी ऋणों की मंजूरी - वर्ष 2025-26 हेतु परिचालन दिशानिर्देश.**

### I. पात्रता मानदंड और अधिकतम राशि

सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में योगदान के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करना ताकि इन संस्थाओं की अधिकतम उधार लेने की शक्ति (एमबीपी) को बढ़ाया जा सके.

**(अ) राज्य सहकारी बैंक**

**(i) अनर्जक आस्ति (एनपीए) मानदंड**

क) दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य सहकारी बैंक का निवल एनपीए 10% से अधिक नहीं होना चाहिए.

ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत रास बैंकों को एनपीए मानदंडों में 5% की छूट प्रदान की जाती है.

**(ii) पूँजी सीमा**

क) शेयर पूँजी में राज्य सरकार का अंशदान राज्य सहकारी बैंक की चुकौती पूँजी के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.

ख) राज्य सरकार द्वारा राज्य सहकारी बैंक की कुल चुकता शेयर पूँजी में 25% से अधिक प्रदत्त पूँजी, जिसके लिए अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध है, और इसे "पूँजीगत परिवर्तनीय जमाखाता" नमक एक अलग खाते में रखा जाता है. इसे टीयर-I पूँजी के तहत सीआरआर के उद्देश्य से गणना के लिए पात्र माना जाएगा.

ग) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्य सरकारों को विशेष मामले के रूप में राज्य सहकारी बैंकों की शेयर पूँजी में 25% से अधिक का अंशदान करने की अनुमति केवल तभी है, जब बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) का अनुपालन करना आवश्यक हो.

घ) राज्य सहकारी बैंक की शेयर पूँजी में अंशदान के लिए ऋण की प्रमात्रा पर कोई वार्षिक सीमा नहीं है.

**(iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) का अनुपालन**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) का अनुपालन के प्रावधानों का पालन करने वाले सभी लाइसेंसीकृत राज्य सहकारी बैंक पात्र होंगे.

तथापि, राज्य सहकारी बैंकों के मामले में, जिन्हें टर्नअराउंड कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए, विनियामक सीआरएआर आवश्यकताओं को पूरा करने और टर्नअराउंड के लिए आवश्यक विकास पूँजी प्रदान करने के लिए चिह्नित

किया गया है, राज्य सरकारों हेतु ऋण नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार शेयर पूँजी में योगदान के लिए प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है:

**(i) निवल एनपीए मानदंड**

क) 31 मार्च 2025 तक निवल एनपीए 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.

ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत जिमस बैंकों को एनपीए मानदंडों में 5% की छूट प्रदान की जाती है.

तथापि, संबंधित राज्य सरकार की विशिष्ट अनुशंसाओं के आधार पर सीएचएससी द्वारा एनपीए मानदंडों में 25% या 30% (विशेष राज्यों के लिए) से अधिक की छूट दी जा सकती है.

**(ii) पूँजी पर सीमा**

क) राज्य सरकार का शेयर पूँजी में योगदान राज्य सहकारी बैंक की चुकता पूँजी के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.

ख) राज्य सरकार द्वारा राज्य सहकारी बैंक की कुल चुकता शेयर पूँजी में 25% से अधिक पूँजी निवेश, जिसके लिए सहायता उपलब्ध है, अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा और "पूँजी परिवर्तनीय जमा खाता" नामक एक अलग खाते में रखा जाएगा। यह राशि टीयर-I पूँजी के अंतर्गत सीआरएआर उद्देश्य के लिए गणना हेतु पात्र है.

ग) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को विशेष मामले के रूप में राज्य सहकारी बैंक की शेयर पूँजी में 25% से अधिक योगदान करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) का अनुपालन करना आवश्यक हो.

घ) राज्य सहकारी बैंक की शेयर पूँजी में योगदान के लिए ऋण की मात्रा पर कोई वार्षिक सीमा नहीं.

तथापि, संबंधित राज्य सरकार की विशिष्ट अनुशंसाओं के आधार पर सीएचएससी द्वारा शेयर पूँजी की अधिकतम सीमा में 25% से अधिक और 95% तक की छूट दी जा सकती है

**(iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) का अनुपालन**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) के प्रावधानों का अनुपालन करने वाले सभी लाइसेंस प्राप्त राज्य सहकारी बैंक पात्र होंगे.

तथापि, संबंधित राज्य सरकार की विशिष्ट अनुशंसाओं के आधार पर सीएचएससी द्वारा धारा 11(1) के गैर-अनुपालन वाले राज्य सहकारी बैंकों के संबंध में छूट दी जा सकती है.

**(आ) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक**

सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूँजी में योगदान के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करना ताकि इन संस्थाओं की अधिकतम उधार लेने की शक्ति (एमबीपी) को बढ़ाया जा सके

**(i) अनर्जक आस्ति मानदंड**

क) दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का निवल एनपीए 10% से अधिक नहीं होना चाहिए.

ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को एनपीए मानदंडों में 5% की छूट प्रदान की जाती है.

**(ii) पूँजी सीमा**

क) शेयर पूँजी में राज्य सरकार का अंशदान जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की चुकौती पूँजी के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.

ख) राज्य सरकार द्वारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की कुल चुकता शेयर पूँजी में 25% से अधिक प्रदत्त पूँजी, जिसके लिए अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध है, और इसे "पूँजीगत परिवर्तनीय जमाखाता" नामक एक अलग खाते में रखा जाता है. इसे टीयर-I पूँजी के तहत सीआरआर के उद्देश्य से गणना के लिए पात्र माना जाएगा.

ग) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की शेयर पूँजी में अंशदान के लिए ऋण की प्रमात्रा पर कोई वार्षिक सीमा नहीं है.

**(iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) का अनुपालन**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) का अनुपालन के प्रावधानों का पालन करने वाले सभी लाइसेंसीकृत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पात्र होंगे. एक विशेष मामले के तौर पर, राज्य सरकार के पुनरुद्धार पैकेज के अंतर्गत लाइसेंसीकृत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक भी सहायता के लिए पात्र होंगे.

तथापि, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में, जिन्हें टर्नअराउंड कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए, विनियामक सीआरएआर आवश्यकताओं को पूरा करने और टर्नअराउंड के लिए आवश्यक विकास पूँजी प्रदान करने के लिए पहचाना गया है, राज्य सरकारों को ऋण नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार शेयर पूँजी में योगदान के लिए प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है

**i. निवल एनपीए मानदंड**

a) 31 मार्च 2025 तक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का निवल एनपीए **25% से अधिक नहीं** होना चाहिए.

b) पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत **जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को एनपीए मानदंडों में 5% की छूट प्रदान की गई है**.

तथापि, संबंधित राज्य सरकार की विशिष्ट अनुशंसाओं के आधार पर सीएचएससी द्वारा एनपीए मानदंडों में 25% या 30% (विशेष राज्यों के लिए) से अधिक की छूट दी जा सकती है.

**ii. पूँजी सीमा**

क) शेयर पूँजी में राज्य सरकार का योगदान जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की चुकता पूँजी के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.

ख) राज्य सरकार द्वारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की कुल चुकता शेयर पूँजी में 25% से अधिक पूँजी निवेश, जिसके लिए सहायता उपलब्ध है, अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा और "पूँजी परिवर्तनीय जमा खाता" नामक एक पृथक खाते में रखा जाएगा. यह राशि टीयर-I पूँजी के अंतर्गत सीआरएआर प्रयोजन के लिए गणना हेतु पात्र है.

ग) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की शेयर पूँजी में योगदान के लिए ऋण की मात्रा पर कोई वार्षिक सीमा नहीं है.

तथापि संबंधित राज्य सरकार की विशिष्ट अनुशंसाओं के आधार पर सीएचएससी द्वारा शेयर पूँजी की अधिकतम सीमा में 25% से अधिक और 95% तक की छूट दी जा सकती है.

### iii. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) का अनुपालन

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) के प्रावधानों का अनुपालन करने वाले सभी लाइसेंस प्राप्त जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक इसके लिए पात्र होंगे। विशेष मामले में, राज्य सरकार के पुनरुद्धार पैकेज के अंतर्गत आने वाले गैर-लाइसेंस प्राप्त जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक भी सहायता के लिए पात्र होंगे.

तथापि, धारा 11(1) के गैर-अनुपालन वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संबंध में छूट संबंधित राज्य सरकार की विशिष्ट अनुशंसाओं के आधार पर सीएचएससी द्वारा दी जा सकती है.

**(इ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स)**

क) समितियों के पास **30 जून 2024 या 30 जून 2025** की स्थिति में, माँग के 60% से अधिक अतिदेय, इसमें से जो भी लाभकारी हो, नहीं होना चाहिए.

ख) पैक्स को संबंधित वर्ष के लिए लेखा परीक्षा वर्गीकरण में 'ए', 'बी' या 'सी' वर्ग के अंतर्गत रखा जाना चाहिए. पैक्स की कम से कम 2020-21 तक की लेखा परीक्षा पूरी होनी चाहिए और संबंधित राज्य सरकार को बकाया लेखा परीक्षा को पूरा कराने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करनी चाहिए.

ग) राज्य सरकार का शेयर पूँजी में अंशदान चुकता पूँजी के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.

घ) पैक्स की शेयर पूँजी में अंशदान के लिए ऋण की प्रमात्रा पर कोई वार्षिक सीमा नहीं है.

**(ई) कृषक सेवा समितियाँ (एफ़एसएस)**

क) कृषक सेवा समितियों के पास 30 जून 2024 या 30 जून 2025 की स्थिति में, माँग के 60% से अधिक अतिदेय, इसमें से जो भी लाभकारी हो, नहीं होना चाहिए.

ख) एफ़एसएस योजना में इंगित पैटर्न के अनुसार एफ़एसएस में पूर्णकालिक वैतनिक प्रबंध निदेशक और कम से कम 3 तकनीकी कर्मचारी/ विषय विशेषज्ञ होने चाहिए.

ग) राज्य सरकार का शेयर पूँजी में अंशदान संस्था की चुकता पूँजी के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.

**(उ) बृहदाकार आदिवासी बहुउद्देशीय सोसायटी (लैम्पस)**

क) लैम्पस पर 30 जून 2024 या 30 जून 2025 की स्थिति में, माँग के 75% से अधिक अतिदेय, इसमें से जो भी लाभकारी हो, नहीं होना चाहिए.

ख) लैम्पस के पास कम से कम 10,000 एकड़ का कवरेज होना चाहिए और व्यवहार्य परिचालन के लिए पर्याप्त ऋण संभाव्यता होनी चाहिए.

ग) राज्य सरकार का शेयर पूँजी में अंशदान संस्था की चुकता पूँजी के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.

**(ऊ) राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/ प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**

क) राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पर **30 जून 2024** या **30 जून 2025** की स्थिति में माँग के 35% से अधिक अतिदेय, इसमें से जो भी लाभकारी हो, नहीं होना चाहिए.

ख) प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पर **30 जून 2024** या **30 जून 2025** की स्थिति में, माँग के 50% से अधिक अतिदेय, इसमें से जो भी लाभकारी हो, नहीं होना चाहिए.

ग) प्रतिपूर्ति सहायता की वार्षिक सीमा ₹400 लाख प्रति राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और ₹75 लाख प्रति प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होगी, बशर्ते राज्य सरकार का इन संस्थानों की शेयर पूँजी में अंशदान इनकी प्रदत्त पूँजी के 50% से अधिक नहीं हो.

**II. ऋण सहायता की प्रतिपूर्ति से संबंधित अन्य नियम और शर्तें.**

i. इसकी परिचालन अवधि **01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026** तक होगी. वर्ष **2025-26** के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए सभी संवितरण इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे.

ii. प्रतिपूर्ति की गई सहायता राशि की चुकौती 12 वर्षों की अवधि के भीतर की जानी है.

iii. आहरण की तिथि पर ध्यान दिए बिना आहरण के तीसरे वर्ष से 01 अप्रैल और 01 अक्तूबर से शुरू कराते हुए मूलधन की वसूली दस समान वार्षिक किस्तों में निम्नानुसार की जाएगी:

| किए गए आहरण | देय तिथि |
|---|---|
| 01 अप्रैल से 30 सितंबर तक | 01 अप्रैल |
| 01 अक्तूबर से 31 मार्च तक | 01 अक्तूबर |

iv. प्रतिपूर्ति किए गए ऋण पर नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा.

v. ब्याज प्रत्येक छमाही के अंत में 01 अक्टूबर और 01 अप्रैल को या ऋण के पूर्ण चुकौती तक देय होता है.

vi. मूलधन की चुकौती और/ या ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में, राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वह नाबार्ड को चूक की राशि पर चूक की अवधि के लिए 10.25% वार्षिक दर (प्रयोज्य कर सहित) से दंडात्मक प्रभार का भुगतान करे.

vii. लाभार्थी संस्थानों का निवल एनपीए स्तर वसूली प्रदर्शन, सहायता के प्रावधान का आधार होगा, और प्रत्येक प्रकार के ऋण संस्थानों के लिए सहायता की प्रमात्रा उनके प्रक्षेपित व्यवसाय की वास्तविक प्रमात्रा पर आधारित होगी.

viii. राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह नाबार्ड से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिपूर्ति सहायता की राशि उधार लेने केलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के खंड (1) और (3) के अनुसार भारत सरकार के सहमति शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराएँ. इसके अलावा, सहायता की प्रतिपूर्ति केलिए आवेदन जमा करते समय इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा कि प्रतिपूर्ति की राशि, राज्य सरकार द्वारा उधार लेने के लिए राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित सीमा, यदि कोई हो, के भीतर है.

ix. राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति सहायता प्राप्त करते समय सहकारी ऋण संस्थानों की शेयर पूँजी में उनके अंशदान का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है. ऋण आवेदन के प्रपत्र ए, बी, सी, ई, एफ, एल और एन में कुछ संशोधन किए गए है. राज्य सरकार द्वारा ऋण आवेदन में 'सरकारी अंशदान के लिए आवेदित' के स्थान पर 'सरकारी द्वारा प्रदत्त अंशदान की तिथि और राशि और आवेदित राशि' लिखा जाए.

x. आहरण लेते समय, राज्य सरकार को शेयर पूँजी में अंशदान की राशि और विभिन्न एजेंसियों द्वारा इसे प्राप्त करने की तिथि को दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए.

## III. सामान्य

राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के मामले में, संबंधित संस्थाओं की लेखापरीक्षा बकाया नहीं होनी चाहिए और कम से कम **वर्ष 2023-24** तक की लेखापरीक्षा पूरी हो जानी चाहिए. **वर्ष 2025-26** के दौरान सहायता के प्रावधानों के अनुसार अन्य संस्थानों पैक्स, एफएसएस और लैम्प्स की लेखापरीक्षा कम से कम **2022-23** तक पूरी रहनी चाहिए और संबंधित राज्य सरकार को बकाया लेखापरीक्षा पूरा कराने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए.

## IV. निगरानी और समीक्षा

टर्न अराउंड योजना के तहत प्रगति की सूचना एसटीसीबी/डीसीसीबी द्वारा तिमाही ENSURE विवरणी में प्रस्तुत की जाएगी और इसका उपयोग नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शेयर पूंजी अंशदान के लिए राज्य सरकारों को प्रदान किए गए सावधि ऋणों के उपयोग की समीक्षा और निगरानी के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, एचएलसी की बैठकों में और टीएपी/धारा 11 बैंकों की तिमाही समीक्षा के दौरान भी इसकी समीक्षा की जाएगी।

*****